

OFFICE OF THE DIR (Pig.)

MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2

Dy.No. 2398

ated 4/5

मास्टर प्लान - 2011 के संबंध में सुझाव

उपाध्यक्ष कार्यालय

अवधि सं. 1546-11

दिनांक 2/5/12

1. सरकार भूमि अधिग्रहण करने से पहले अधिग्रहण से प्रभावित गाँव/गाँवों का लाल डोरा आवश्यक रूप से बढ़ाने की व्यवस्था करें।
2. सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित दिल्ली के गाँव बरवाला में 1953 से गाँव का लाल डोरा विस्तार नहीं किया गया जिसके कारण ग्रामवासियों के समक्ष आवास की विकट समस्या है।
3. किसी भी गाँव में भूमि अधिग्रहण ग्राम सभा की अनुमति से हो और वहाँ के निवासियों की आवासीय समस्या का समाधान करने के बाद ही किया जाए।
4. भूमि का मुआवजा उस क्षेत्र के सर्कल रेट से पाँच गुना हो अथवा किसानों के साथ विकसित भूमि में 50-50 प्रतिशत की साझेदारी की जाए।
5. ग्राम सभा की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाए। ग्राम सभा की जमीन का इस्तेमाल ग्राम सभा की सहमति से गाँव की उन्नति के लिए किया जाए।
6. अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा, रॉयल्टी, परिवार से एक सदस्य को नौकरी तथा विकसित जमीन का 15 प्रतिशत हिस्सा निःशुल्क तथा गाँव के पास में ही दिया जाए।
7. प्रभावित किसानों को अगले सौ वर्षों के लिए 25 हजार वार्षिक/प्रति एकड़ रॉयल्टी तथा भूमिहीनों को प्रति परिवार 10 हजार रुपये रॉयल्टी दी जाए क्योंकि वो भी किसानों के साथ वर्षों से खेती से जुड़े रहे हैं और उनकी जीविका का एकमात्र साधन सरकार ने नाममात्र का मुआवजा देकर छीन लिया।
8. भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और भूमिहीनों को उपरोक्त सुविधाएँ सन् 2000 से दी जाएं।
9. गाँव को बिल्डिंग बायलॉज से मुक्त रखा जाए तथा मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति गाँव में दी जाए।
10. गाँव के चारों तरफ पाँच सौ मीटर के क्षेत्र में हरित पट्टी छोड़ी जाए।
11. गाँव या क्षेत्र जहाँ भूमि अधिग्रहण होना संभावित है में प्राथमिकता के आधार पर आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जानी चाहिए।
12. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों को ऐसे सुधार और उपाय करने चाहिए कि देश में लोगों का पलायन गाँव से शहरों खास कर दिल्ली में कन हो सके जैसा बिहार, गुजरात जैसे राज्यों ने किया।

Commr. (Pig.)

Dairy No. 1849

Date 2-5-12

V.R.K. Babbar

1-5-12

रविन्द्र कुमार डबास

मकान नं.-268,

गाँव व डाकघर - बरवाला

दिल्ली - 110039

3/5/12

1/5/2012

4/5

AD(P.S.)

2/5/12